सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 37/2018 दायर तारीख :– 11-06-2018

1. बाबूलाल पुत्र घीसा कौम माली निवासी वार्ड नंबर 19 कस्बा विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर(राज0) —— **प्रार्थी**

बनाम

1. हजारी लाल पुत्र छोगाराम जाति माली निवासी वार्ड नंबर 19 मौहल्ला कुम्हारों का, कस्बा विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0 —— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्थाई सीमाचिन्ह

स्थापित करने बाबत

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 22.08..2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 651 के खसरा नम्बर 337/0.14, 342/0.31, 353/0.10, 4871/345/0.21, 4872/352/0.20 एवं खाता संख्या 652 के खसरा नंबर 346/0.09 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांकः भू./अ./2018/1327 दिनांक 14.05.2018 की पालना में दिनांक 31.05.2018 को सीमाज्ञान करवाना चाहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने सीमाज्ञान को मानने से इनकार कर दिया। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके विराटनगर के खाता संख्या 651 के खसरा नम्बर 337/0.14, 342/0.31, 353/0.10, 4871/345/0.21, 4872/352/0.20 एवं खाता संख्या 652 के खसरा नंबर 346/0.09 हैक्टेयर की सीमा का [illegible] निश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खाता संख्या 651 नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076, खाता संख्या 652 नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076, खाता संख्या 1382 नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 31.05.2018, नकल नक्शा ट्रेस, नकल सीमाज्ञान आवेदन पत्र आदि पेश किये।

4. तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन रहे कि खसरा नंबर 337/0.14, 338/0.05, 342/0.31, 353/0.10 का सीमाज्ञान किया हुआ है। एवं खसरा नंबर 4871/345/0.21, 4872/352/0.20 की नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण सीमाज्ञान नहीं किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 651 के खसरा नम्बर 337/0.14, 342/0.31, 353/0.10, 4871/345/0.21, 4872/352/0.20 एवं खाता संख्या 652 के खसरा नंबर 346/0.09 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांकः भू./अ./2018/1327 दिनांक 14.05.2018 की पालना में दिनांक 31.05.2018 को सीमाज्ञान करवाना चाहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने सीमाज्ञान को मानने से इनकार कर दिया। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की भूमि वाके ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 651 के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 337/0.14, 342/0.31, 353/0.10 एवं खाता संख्या 652 के खसरा नंबर 346/0.09 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:21 IST
Reason: SelfAttested